भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

राज्यसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1526
12.12.2025 को उत्तर के लिए नियत

उन्नत रसायन विज्ञान सेल (एसीसी) बैटरी और घरेलू उत्पादन क्षमता

1526 **डा. सैयद नसीर हुसैनः**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) एसीसी बैटरी के विनिर्माण के लिए आवंटित और उपयोग की गई निधि, आज की तिथि तक अनुमोदित कुल निर्माण क्षमता और वास्तव में स्थापित क्षमता का ब्यौरा सहित उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) आयातित बैटरियों के साथ प्रतिस्पर्धा में घरेलू निर्माताओं को पेश आने वाली चुनौतियाँ क्या है;
(ग) बैटरी उत्पादन के लिए घरेलू कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ाने, लिथियम और कोबाल्ट जैसे प्रमुख कच्चे माल के लिए घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करने और लिथियम-आयन बैटरियों पर आयात की निर्भरता कम करने के लिए उठाए जा रहे कदम क्या है; और
(घ) भावी बैटरी प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर
भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क): भारी उद्योग मंत्रालय उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम चला रहा है, जिसका नाम "नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी स्टोरेज" है। इसे मई, 2021 में 18,100 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ 50 गीगावॉट घंटा की घरेलू उन्नत रसायन सेल विनिर्माण क्षमता स्थापित करने के लिए मंज़ूरी दी गई थी।

40 गीगावॉट घंटा की क्षमता चार लाभार्थी फर्मों को दी गई है। अब तक, किसी भी लाभार्थी फर्म ने पीएलआई एसीसी स्कीम के तहत किसी प्रोत्साहन का दावा नहीं किया है, और प्रदत्त क्षमता और वास्तविक संस्थापित क्षमता का लाभार्थी-वार विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	पीएलआई एसीसी स्कीम के तहत लाभार्थी फर्म	प्रदत्त क्षमता (गीगावॉट घंटा)	संस्थापित क्षमता (गीगावॉट घंटा)
1.	एसीसी एनर्जी स्टोरेज़ प्राइवेट लिमिटेड	5	0
2.	ओला सेल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	20	1
3.	रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी स्टोरेज़ लिमिटेड	5	0
4.	रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी लिमिटेड	10	0
	कुल	**40**	**1**

(ख): इंपोर्टेड बैटरी के साथ मुकाबला करने में घरेलू विनिर्माताओं को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, वे इस प्रकार हैं:

i.) तकनीकी की कमी।

ii.) कुशल कार्मिकों की कमी।

iii.) आवश्यक उपकरण और मशीनरी का आयात।

iv.) अपस्ट्रीम घटकों की अनुपलब्धता।

(ग): खान मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, खान मंत्रालय ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें ये शामिल हैं:

i.) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जनवरी, 2025 को राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) की स्थापना को मंज़ूरी दी, जिसके लिए वित्त वर्ष 2024-25 से 2030-31 तक 16,300 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन किया गया है। एनसीएमएम का लक्ष्य भारत की महत्वपूर्ण खनिज सप्लाई चेन को सुरक्षित करना और मूल्य शृंखला के सभी चरणों को मज़बूत करना है, जिसमें खनिज की खोज, खनन, धातुशोधन, प्रसंस्करण और प्रयोग के बाद के उत्पादों से बरामदगी शामिल है।

ii.) जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया (जीएसआई) ने महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों की खोज तेज़ कर दी है। जीएसआई ने 2024-25 में देश भर में 195 महत्वपूर्ण खनिज खोज परियोजनाएं और 2025-26 में 230 परियोजनाएं चलाईं। इसके अलावा, नेशनल खनिज समन्वेषण एवं विकास ट्रस्ट (एनएमईडीटी) ने 2024-25 के दौरान महत्वपूर्ण खनिजों की खोज के लिए 62 परियोजनाओं और 2025-26 के दौरान 36 परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है।

iii.) खान और खनिज विकास अधिनियम (एमएमडीआर), 1957 अधिनियम में एनएमईडीटी के दायरे का विस्तार करने के लिए संशोधन किया गया ताकि विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज की खोज और खनन में सहायता की जा सके।

iv.) खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण खनिजों के 34 ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की है।

v.) खान मंत्रालय ने समन्वेषण लाइसेंस के 7 ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की है, जिनमें से तीन महत्वपूर्ण खनिज हैं।

vi.) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने द्वितीयक स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों को अलग करने और उत्पादन के लिए पुन:चक्रण क्षमता विकसित करने हेतु 1,500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन स्कीम को मंज़ूरी दी। स्कीम के दिशानिर्देश खान मंत्रालय द्वारा 02.10.2025 को जारी किए गए और स्कीम शुरू की गई।

vii.) खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड (केएबीआईएल) ने अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत में अनुसंधान एवं विकास के लिए पांच लिथियम ब्राइन ब्लॉक हासिल किए हैं।

(घ): पीएलआई एसीसी स्कीम तकनीकी के मामले में तटस्थ है, जो यह सुनिश्चित करती है कि बेहतर प्रौद्योगिकियों तकनीकी को ज़्यादा प्रोत्साहन मिले। यह स्कीम बड़े निवेश को आकर्षित करने, अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने और एसीसी के लिए आयात पर निर्भरता कम करने के लिए डिज़ाइन की गई है। इसके अलावा, इस स्कीम के तहत, लाभ पाने वाली कंपनियों द्वारा अनुसंधान एवं विकास पर किए गए खर्च को निवेश के मानदंडों को पूरा करने की अनुमति है, जिससे वे अपनी परियोजनाओं को लागू करने में नवीनतम तकनीकी को शामिल कर सकें।

*****